



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30092022-239246
CG-DL-E-30092022-239246

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 481]
No. 481]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 30, 2022/आश्विन 8, 1944
NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 30, 2022/ ASVINA 8, 1944

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान

(संसदीय अधिनियम द्वारा स्थापित)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2022

(चार्टर्ड अकाउंटेंट्स)

सं. पीपीआर/पी/105/14-डीडी/42/आईएनएफ/15-बीओडी/399/2017.—चार्टर्ड अकाउंटेंट (वृत्तिक और अन्य कदाचार के अन्वेषणों और मामलों के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2007 के नियम 14 के उपनियम (9) के साथ पठित, चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 21क(3) के उपबंधों के निबंधनानुसार अनुशासन बोर्ड ने, सीए. एस रामचंद्रन (सदस्यता संख्या 018355), 41-1-सी, सीईई डीईई येस अपार्टमेंट्स, चेन्नईपट्टिनम, अम्मापेट्टई, वीटीसी नेल्लीकुप्पम, लिटिल कांचीपुरम (तमिलनाडु) 603 108 को, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 22 के साथ पठित पहली अनुसूची के भाग 4 के खंड (2) के अर्थान्तर्गत 'अन्य कदाचार' का दोषी पाया है और इसके परिणामस्वरूप उपर्युक्त सीए. एस रामचंद्रन (सदस्यता संख्या 018355) के नाम को 01 (एक) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटाने का आदेश दिया है और केवल 50,000/- रुपए (पचास हजार रुपए) का जुर्माना भी अधिरोपित किया है। इसकी अपीलीय प्राधिकरण ने तारीख 12 जुलाई, 2022 के अपने आदेश द्वारा अभिपुष्टि भी कर दी है। अतः उसके अनुसरण में और पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए चार्टर्ड अकाउंटेंट विनियम, 1988 के विनियम 18 के अधीन यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त सीए. एस रामचंद्रन (सदस्यता संख्या 018355) का नाम, 30 सितंबर, 2022 से 01 (एक) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हट जाएगा।

सीए. (डॉ.) जय कुमार बत्रा, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./303/2022-23]

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA**(Set up by an Act of Parliament)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 30th September, 2022

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

No. PPR/P/105/14-DD/42/INF/15-BOD/399/2017: In terms of the provisions of Section 21A(3) of the Chartered Accountants Act, 1949 read with sub-rule (9) of Rule 14 of the Chartered Accountants (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases) Rules, 2007, the Board of Discipline has held **CA. S Ramachandran (Membership No. 018355), 41-1-C, CEE DEE Yes Apartments, Chennaipattinam, Ammapettai, VTC Nellikuppam, LITTLE KANCHEEPURAM (Tamilnadu) 603 108**, guilty of 'Other Misconduct' falling within the meaning of Clause (2) of Part IV of the First Schedule read with Section 22 of the aforesaid Act and consequently ordered for removal of the name of **CA. S Ramachandran (Membership No. 018355)** from the Register of Members for a period of 1(One) month and also imposed a fine of Rs. 50,000/- (Rupees Fifty Thousand) only, which has been upheld by the Appellate Authority vide its Order dated 12th July, 2022. In pursuance thereof and in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 20 of the aforesaid Act, it is hereby notified under Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988 that the name of said **CA. S Ramachandran (Membership No. 018355)** shall stand removed from the Register of Members for a period of 01(One) month with effect from 30th September, 2022.

CA.(Dr.) JAI KUMAR BATRA, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./303/2022-23]